

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

वि.सं.सु.का.अ./वि.सं.  
23-10/15

सेवा में,

निदेशक,  
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,  
उओप्रओ लखनऊ।

20.10.15  
उ.सं.क.

कार्यालय-मु.सं.क.अ.क.  
जन्म संख्या-573  
दिनांक-23.10.15

खादी तथा ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 20 अक्टूबर, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में विपणन विकास सहायता कार्यक्रम योजना (एसओसीओएसओपीओ) के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उओप्रओ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र संख्या-667/खाओग्रोओबोओ/प्रचार/विओविओसओ/एसओसीओएसओपीओ/2015-16, दिनांक 09-10-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के लिए प्राविधानित धनराशि रु0 2,37,50,000.00 (रूपये दो करोड सैंतीस लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु0 1,18,75,000.00 (रूपये एक करोड अट्ठारह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015, एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एसओसीओएसओपीओ/टीओएसओपीओ के मानको व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- स्वीकृत धनराशि आहरण कर बैंक अथवा पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा तथा तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण ही किया जायेगा।
- 4- स्वीकृत धनराशि के व्यय का नियमानुसार प्रमाण-पत्र ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

23.10.15

23.10.15  
वरिष्ठ संचालक/अधी

598  
23.10.15

- 5- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं उसके व्यय/उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में योजना की गार्ड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - 6- जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग/व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तरदायी होगा।
  - 7- स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही व्यय की जायेगी। किसी प्रकार के विचलन की स्थिति में 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 2- उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-08-विपणन विकास सहायता कार्यक्रम-27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या- 07/26-ब0प्र0-2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,  
/ (मुकुल सिंहल)  
प्रमुख सचिव

संख्या- 36/2015/735 (1)/59-2-2015-24(ख)/2009 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-3
- 8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 30प्र0, 126, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 10- एन0आई0सी0/गार्ड फाइल

आजा से,  
/ (मुकुल सिंहल)  
प्रमुख सचिव